न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 225 सन 2022

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. जयसिह पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
2. तिलोकाराम पुत्र दलुराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
3. सुरती उर्फ सुरसती देवी पुत्री दलुराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर
4. धोधा उर्फ सरोज पुत्री विधा पत्नी भादरराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुभाष पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
6. महावीर पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
7. आचा उर्फ विमला पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
8. लिला उर्फ लीला पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
9. पूनम पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
10. कृष्णा पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
11. ओमप्रकाश पुत्र सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
12. मीरा पुत्री सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
13. हरपाल पुत्र सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
14. विनोद पुत्र सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
15. इन्द्रपाल पुत्र सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
16. सावित्री पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
17. कमला पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर/रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 191/178 की कुल 7.3370हैक व खाता संख्या 193/180 की कुल 12.2330हैक व खाता संख्या 194/179 की कुल 5.4650हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी सी के खाता संख्या 26/48 की कुल 3.4160हैक भूमि मुश्तरका खाते में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वजों के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रतिवादी संख्या 6 की बहने एव मृतक परमेश्वरी पत्नी इन्द्राज के वारिसान है एवं इन्द्राज की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 वादी की बुआ सन्तो उर्फ शान्ति के वारिस है एव प्रतिवादी संख्या 16 ,17 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 7 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजोंके पक्ष में त्याग किया जा चुका है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 7 ता 17 ने अपने हकों का त्याग करने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वाद भूमि का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी वाद भूमि को बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अत. वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता

Scanned with CamScanner

6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एवं मृतक परमेश्वरी के नाम से दर्ज है परमेश्वरी के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 है जो परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 17 ने निवेदन किया की उनके नाम दर्ज भूमि को उन्होने अपने भाई /भतिजो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि का उन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा के लिया है जो वाद की मद संख्या 4 मे दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने इकबाल पेश किया जा चुका है शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 191/178 की कुल 7.3370हैक व खाता संख्या 193/180 की कुल 12.2330हैक व खाता संख्या 194/179 की कुल 5.4650हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी सी के खाता संख्या 26/48 की कुल 3.4160हैक भूमि मुश्तरका खाते में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वजों के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रतिवादी संख्या 6 की बहने एव मृतक परमेश्वरी पत्नी इन्द्राज के वारिसान है एवं इन्द्राज की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 वादी की बुआ सन्तो उर्फ शान्ति के वारिस है एव प्रतिवादी संख्या 16 ,17 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 7 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजोंके पक्ष में त्याग किया जा चुका है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 7 ता 17 ने अपने हकों का त्याग करने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वाद भूमि का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी वाद भूमि को बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 191/178 की कुल 7.3370हैक व खाता संख्या 193/180 की कुल 12.2330हैक व खाता संख्या 194/179 की कुल 5.4650हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी सी के खाता संख्या 26/48 की कुल 3.4160हैक भूमि मुश्तरका खाते में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 एवं मृतक परमेश्वरी के नाम से दर्ज है परमेश्वरी के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 है जो परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 17 ने निवेदन किया की उनके नाम दर्ज भूमि को उन्होने अपने भाई /भतिजो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी का कथन है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार को एतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 17 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

रोही मौजा रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 191/171 कुल 7.3370 है0 भूमि में मृतक परमेंश्वरी पत्नी इन्द्राज व सन्तो उर्फ शान्ती पुत्री दलु व वादी और प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज हिस्से सहित 4.807 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को तथा पहले से दर्ज हिस्से सहित 1.364 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 193/180 कुल 12.2330 है0 भूमि में मृतक परमेश्वरी पत्नी इन्द्राज व सन्तो उर्फ शान्ती पुत्री दलु व प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर 5.4587 है0 भूमि में से पहले से दर्ज हिस्सा सहित 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 के तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि पहले से दर्ज सहित प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 194/179 की कुल 5.4650 है0 भूमि मृतक परमेश्वरी पत्नी इन्द्राज व सन्तो उर्फ शान्ती पुत्री दलु व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व 7 व 8 का नाम कलमजन किया जाकर 2.7325 है0 भूमि में से 1.0246 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 पहले से दर्ज हिस्से सहित तथा 1.0246 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 पहले से दर्ज सहित खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष 0.6833 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 के पहले से दर्ज हिस्से सहित दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–सी के खाता संख्या 26/48 की कुल 3.4160 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 16, 17 का नाम कलमजन किया जाकर 2.562 है0 भूमि में से 1.1933 है0 भूमि पूर्व में दर्ज हिस्से सहित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 तथा 1.1932 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 के पहले से दर्ज हिस्से सहित तथा 0.1755 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के पहले से दर्ज हिस्से सहित खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 जयसिह पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
2. तिलोकाराम पुत्र दलुराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
3. सुरती उर्फ सुरसती देवी पुत्री दलुराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर
4. धोधा उर्फ सरोज पुत्री विधा पत्नी भादरराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुभाष पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
6. महावीर पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
7. आचा उर्फ विमला पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
8. लिला उर्फ लीला पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
9. पूनम पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
10. कृष्णा पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
11. ओमप्रकाश पुत्र सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
12. मीरा पुत्री सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
13. हरपाल पुत्र सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
14. विनोद पुत्र सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
15. इन्द्रपाल पुत्र सन्तो उर्फ शान्ती जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
16. सावित्री पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
17. कमला पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर/रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 225 सन 2022 निर्णय दिनांक– 12/4/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 191/171 कुल 7.3370 है0 भूमि में मृतक परमेश्वरी पत्नी इन्द्राज व सन्तो उर्फ शान्ती पुत्री दलु व वादी और प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज हिस्से सहित 4.807 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को तथा पहले से दर्ज हिस्से सहित 1.364 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 193/180 कुल 12.2330 है0 भूमि में मृतक परमेश्वरी पत्नी इन्द्राज व सन्तो उर्फ शान्ती पुत्री दलु व प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर 5.4587 है0 भूमि में से पहले से दर्ज हिस्सा सहित 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 के तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि पहले से दर्ज सहित प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 194/179 की कुल 5.4650 है0 भूमि मृतक परमेश्वरी पत्नी इन्द्राज व सन्तो उर्फ शान्ती पुत्री दलु व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व 7 व 8 का नाम कलमजन किया जाकर 2.7325 है0 भूमि में से 1.0246 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 पहले से दर्ज हिस्से सहित तथा 1.0246 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 पहले से दर्ज सहित खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष 0.6833 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 के पहले से दर्ज हिस्से सहित दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–सी के खाता संख्या 26/48 की कुल 3.4160 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 16, 17 का नाम कलमजन किया जाकर 2.562 है0 भूमि में से 1.1933 है0 भूमि पूर्व में दर्ज हिस्से सहित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 तथा 1.1932 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 के पहले से दर्ज हिस्से सहित तथा 0.1755 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के पहले से दर्ज हिस्से सहित खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/4/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner